भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 4053**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2018/** **13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)**

**जनवरी, 2018 में माल और सेवा कर संग्रहण में कमी**

4053. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि माल और सेवा कर के लागू होने के समय से विगत महीनों की तुलना में जनवरी, 2018 के महीने में इसके संग्रहण में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) और (ख): 1 जुलाई, 2017 से सरकार द्वारा संग्रहीत केन्‍द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), राज्‍य माल और सेवा कर (एसजीएसटी), एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) और उपकर के माह-वार समेकित विवरण निम्‍नवत हैं:

|  |  |
| --- | --- |
| **माह** | **संग्रहण** |
| अगस्‍त, 2017 | 93,590 |
| सितम्‍बर, 2017 | 93,029 |
| अक्‍टूबर, 2017 | 95,132 |
| नवम्‍बर, 2017 | 85,931 |
| दिसम्‍बर, 2017 | 83,716 |
| जनवरी, 2018  | 88,929 |

जनवरी, 2018 माह में जीएसटी संग्रहण पिछले दो महीनों की तुलना में बढ़ा है।

(ग): सरकार अपवंचन को रोकने के साथ-साथ करदाता‍ओं को नई कर व्‍यवस्‍था के बारे शिक्षित करने और स्‍वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्‍साहित करने के लिए विभिन्‍न कदम उठा रही है। उठाए जा रहे कदमों में ई-वे बिल की शुरूआत, कर विवरणी दाखिल करने के उपायों का सरलीकरण, संव्‍यवहारों के बीजक विवरणों को कैप्‍चर करने के लिए कदम ताकि उसका मिलान ली गई क्रेडिट के साथ किया जा सके और करदाताओं द्वारा लिए गए परिवर्तन काल क्रेडिट का सत्‍यापन शामिल है।

\*\*\*\*\*